



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख 1942 (श0)
(सं0 पटना 304) पटना, शुक्रवार, 15 मई 2020

वित्त विभाग

अधिसूचना

13 मई 2020

सं० वि०(27) पे०को०-49/2019-295/वि०—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ ।-(1) यह नियमावली बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2020 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।
2. बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 एवं 139 में अंकित शब्दावली 'राज्य सरकार' को 'सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के नियुक्ति प्राधिकार' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय) ।

The 13th May 2020

No-F(27) Pen. Cell-49/2019-295/F—In exercise of the powers conferred under the Proviso of Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Pension Rules, 1950 :-

1. *Short title, extent and commencement.*— (1) These Rules may be called The Bihar Pension (Amendment) Rules, 2020.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force at once.

2. The term "State Government" as used in Rule- 43 and 139 of the Bihar Pension Rules,1950 shall be substituted by "Appointment authority of the post held at the time of retirement."

By Order of the Governor of Bihar,
RAHUL SINGH,
Secretary(Expenditure).

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 304-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>